सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

कार्यपरिषद् की आपात बैठक

दिनांकः 25-10-2018
समय : 3:00 बजे से
स्थान :कुलपति कार्यालय

उपस्थिति

1- **प्रो॰ राजाराम शुक्ल** कुलपति, अध्यक्ष

2. प्रो॰ सदानन्द शुक्ल	3. प्रो॰ हरिप्रसाद अधिकारी
4. प्रो॰ राजनाथ	5. प्रो॰ हरिशंकर पाण्डेय
6. डा॰ विजय कुमार पाण्डेय	7. डा॰ विशाखा शुक्ला
8. डा॰ सूर्यकान्त	9. डा॰ विद्या कुमारी चन्द्रा
9. वित्ताधिकारी	10. कुलसचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव ने अध्यक्ष सहित समस्त सदस्यों का अभिनन्दन करते हुए, अध्यक्ष की अनुमति से परिषद् की कार्यवाही प्रारम्भ की।

कार्यक्रम- उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र सख्या 934/सत्तर-1-, दिनांक 10.10.2018 पर विचार।

कार्यपरिषद् के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव के अर्द्धशासकीय पत्र सख्या 934/सत्तर-1-2018, दिनांक 10.10.2018 द्वारा कुलपति महोदय को प्रेषित अधोलिखित पत्र विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

संख्या........934........./सत्तर-1-2018

अनिता भटनागर जैन
आई.ए.एस.
अपर मुख्य सचिव

अर्धशा0पत्र सं0 /ए0सी0एस0/एच0ई0/2018
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
124, बापू भवन सचिवालय, लखनऊ-226001
ई-मेल : anita.bhatnagar@nic.in
दूरभाष : 0522-2239227/2214765

लखनऊ : दिनांक-10-10-2018

प्रिय महोदय,

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्धता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति राज्य सरकार के किसी अन्य चयन आयोग के माध्यम से कराये जाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों के पदों पर नियुक्तियां की जा रही है तथा नियुक्ति के प्रस्तावों पर सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा अनुमोदन दिया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध करने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर सम्प्रति अनुमोदन प्रदान न किया जाये।

भवदीया,

शुभकामनाएं

(डा0 अनिता भटनागर जैन)

प्रो0 राजाराम शुक्ल,
कुलपति,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

संख्या–934(1)/सत्तर–1–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2–कुलसचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
3–अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4–निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
5–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव

कार्यपरिषद् ने शासन के उपर्युक्त पत्र पर गम्भीरतापूर्वक विचार-विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि शासन का उपर्युक्त पत्र परिनियम 11.15 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश (याचिका संख्या 16368/2013) की भावना के अनुकूल नही है। अतः उपर्युक्त अनुरोध के सातत्य में विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति से सम्बन्धित नियम/परिनियम में दी गयी समस्त व्यवस्थाओं एवं अन्य समीचीन तथ्यों से माननीय कुलाधिपति महोदय एवं उत्तर-प्रदेश शासन को अवगत कराते हुए अनुरोध किया जाय कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ही चलाते हुए, कुलपति को वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जाय।

अंत में कुलसचिव ने माननीय सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कुलपति महोदय की अनुमति से सभा विसर्जन की घोषणा की।

कुलसचिव
सं.सं.वि.वि.,वाराणसी